<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप. प्रक. क्र.—991 / 2011</u> संस्थित दिनांक—27.12.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा जिला-बालाघाट (म.प्र.)

– – – – – अभियोजन

/ / <u>विरूद</u> / /

ओमकारसिंह पिता गोविंदसिंह राजपूत, उम्र 36 वर्ष, साकिन—ग्राम भोरवाही ठाकुर टोला, थाना परसवाडा, जिला—बालाघाट (म.प्र.) —

// <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक— 6/06/2014</u>को घोषित)

1— आरोपी पर भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—279, 337 (दो—बार) के अन्तर्गत यह आरोप है कि आरोपी ने दिनांक—22/12/2011 को समय करीब रात्रि 8:00 बजे, स्थान ग्राम बिरसा निखाने की दुकान के सामने रोड, आरक्षी केन्द्र बिरसा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मिनी बस क्रमांक सी.जी.04/ई.1883 को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत रमेश व भूषण को ठोस मारकर साधारण उपहित कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—22/12/2011 को समय करीब रात्रि 8:00 बजे, स्थान ग्राम बिरसा निखाने की दुकान के सामने रोड, आरक्षी केन्द्र बिरसा के अन्तर्गत फरियादी रमेश अपने घर से भूषण के साथ मोटरसाइकिल से बस स्टैण्ड बिरसा आ रहा था तो महालक्ष्मी ट्रेव्लस के बस चालक द्वारा बस को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये मोटरसायिकल को ठोस मार दिया, जिससे आहतगण रमेश व भूषण छिटक कर गिर गये, जिससे आहतगण को चोट कारित हुई तथा मोटरसायिकल को क्षित हुई। उक्त घटना की रिपोर्ट आहत रमेश द्वारा थाना बिरसा में की गई, उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के बिरुद्ध अपराध क्रमांक—109/11, धारा 279, 337 मा.दं. वि. एवं 183, 184 मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस ने आहतगण का मुलाहिजा करवाया तथा विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, वाहन जप्त कर जप्ती

पंचनामा तैयार किया, वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये, आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

- 3— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 22.12.2011 को समय करीब रात्रि 8:00 बजे, स्थान ग्राम बिरसा निखाने की दुकान के सामने रोड, आरक्षी केन्द्र बिरसा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक सी.जी.04/ई.1883 मिनी बस को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
 - 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत रमेश एवं भूषण को ठोस मारकर साधारण उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दू कमांक 1 व 2 का सकारण निष्कर्ष :-

फरियादी / आहत रमेश (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह घटना दिनांक-22/12/2011 को रात्रि 8 बजे भूषण को छोड़ने मोटरसाइकिल से बिरसा उनके घर जा रहा था, जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल अजय निन्यानबे के दुकान के पास पहुंची तो माही बस ने उनकी गाडी को ठोस दिया था, जिससे उनकी गाडी गिर गई थी और उसे दाहिने हाथ के पंजे के पीछे भाग में चोट आयी थी तथा मोटरसाइकिल का लेक गार्ड पिचक गया और दोनों इंडीकेटर टूट गये थे। उक्त बस को आरोपी ओमकार चला रहा था। उक्त दुर्घटना सामने से आती हुई बस की गलती से हुई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में प्रदर्श पी-1 दर्ज करवाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसका चिकित्सीय परीक्षण शासकीय अस्पताल बिरसा में हुआ था। पुलिस ने उसकी निशाानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि दुर्घटना कारित बस सामान्य गति से चल रही थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के दिन गुरूवार बाजार होने से उक्त रोड पर अवागमन अधिक होता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी की लापरवाही से उक्त दुर्घटना नहीं घटित हुई थी। साक्षी के कथन का उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया हैं। इस प्रकार साक्षी ने उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट एवं पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है।

- आहत भूषण (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि वह घटना दिनांक-22/12/2011 को लगभग 8 बजे रमेश के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, जब उनकी मोटरसाइकिल अजय निन्यानबे के दुकान के पास पहुंची तो सामने से आती हुई बस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मोटरसाइकिल गिर गयी थी और उसे दाहिने पैर के घुटने में चोट आयी थी। बस कौन चला रहा था उसने नहीं देखा था। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा में हुआ था। उक्त दुर्घटना बस वाले की गलती से हुई थी, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल किनारे में थी और बस को उनके तरफ लाया था। इस साक्षी के द्वारा अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान उक्त दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में नहीं की गई है, किन्तु साक्षी ने उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश करते हुए बताया है कि घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन बस के चालक द्वारा लापरवाही से चालन करने के कारण उक्त दुर्घटना हुई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण रूप से खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि उक्त घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन बस के चालक की गलती व लापरवाहीपूर्वक चालन करने से उसे चोट आई थी।
- 7— किशोर पटले (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आहत रमेश को पहचानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी के द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है।
- 8— डाक्टर एम.मेंश्राम (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है कि वह दिनांक—22/12/2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक शत्रुघन कमांक—968 के द्वारा आहत भूषण पिता गोपाल तथा आहत रमेश पिता सगुन को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। उसके द्वारा आहत भूषण का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने आहत के बांये घुटने पर एक खरोच तथा सूजन एवं दाहिने हाथ के अंगुठे पर एक सूजन पाया था। उसके मतानुसार आहत को आयी चोटे किसी कड़े, बोथरे एवं खुरदरे वस्तु से आना प्रतीत होती है, सभी चोटे साधारण प्रकृति की है। उसकी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आहत रमेश का परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत दाहिने घुटने के बाहर की ओर एक खरोंच पाया था। उसके मतानुसार आहत को आयी चोट कड़े एवं खुरदरे वस्तु से आना प्रतीत होती होती

है, उक्त चोट साधारण प्रकृति की है। उक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने चिकित्सीय साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि आहत रमेश एवं भूषण को घटना के समय साधारण उपहित कारित की थी।

आर.एस.सिंगरौरे (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण मे कथन किया है 9— कि वह दिनांक-22/12/2011 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा सूचनाकर्ता रमेश की मौखिक रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक—109/11, धारा 279, 337 भा.द.वि. एवं 183, 184 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आहतगण को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल बिरसा भेजा गया था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक—23 / 12 / 2011 को घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी रमेश, साक्षी भूषण, किशोर, अब्दुल सलीम, मनोज के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी ओमकार सिंह से साक्षियों के समक्ष मिनी बस क्रमांक-सी.जी. 04 / ई.1883 मय दस्तावेज के जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 के अनुसार जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-7 के अनुसार गिरफतार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया गया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

10— मामले में दो आहतगण रमेश (अ.सा.1) व भूषण (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आरोपी की गलती से दुर्घटना होना प्रकट किया गया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। आहत रमेश (अ.सा.1) ने स्पष्ट रूप से आरोपी की पहचान उक्त दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में की है। आहतगण को घटना के समय साधारण चोटे कारित हुई थी, जिसका समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से भी प्राप्त होता है। घटना के समय आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को लोकमार्ग पर चलाये जाने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य पेश की गई है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा तैयार घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 में भी घटना वाले स्थान को लोकमार्ग के रूप में दर्शित किया गया है।

11-

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि उक्त घटना

का किसी स्वतंत्र साक्षी या चक्षुदर्शी साक्षी ने समर्थन नहीं किया हैं तथा आहत रमेश (अ.सा.1) व भूषण (अ.सा.2) ने दुर्घटना कारित वाहन को उसके चालक द्वारा तेजगति से चलाये जाने के कथन नहीं किये है, इस कारण अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। अभियोजन मामले को प्रमाणित करने हेतु विशिष्ट संख्या में साक्षियों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है, बल्कि एक मात्र साक्षी की अखिण्डत एवं विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर भी अभियोजन मामला प्रमाणित हो सकता है। मामले में दोनों आहतगण रमेश (अ.सा.1) व भूषण (अ.सा.2) ने एकमत में अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि घटना के समय दुर्घटना कारित बस के चालक की गलती से दुर्घटना हुई थी, जिस कारण उन्हें चोट कारित हुई थी। उक्त तथ्य का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए वाहन का तेजगति से चलाये जाने का तथ्य सिद्ध किया जाना आवश्यक नहीं, बल्कि वाहन के चालक के द्वारा लापरवाही से चालन किये जाने एवं उसकी गलती होने का तथ्य प्रमाणित करना होता है। मामले में आरोपी के द्वारा घटना के समय उपेक्षापूर्वक व लापरवाही बरतते हुए दुर्घटना कारित वाहन को आहतगण की मोटरसाइकिल से टकरा देने के फलस्वरूप आहतगण को साधारण उपहति कारित होने का तथ्य प्रमाणित है, जिस पर सन्देह करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

- 12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी द्वारा दिनांक—22/12/2011 को समय करीब रात्रि 8:00 बजे, स्थान ग्राम बिरसा निखाने की दुकान के सामने रोड, आरक्षी केन्द्र बिरसा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मिनी बस क्रमांक सी.जी.04/ई.1883 को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत रमेश व भूषण को ठोस मारकर साधारण उपहित कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (दो—बार) के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 13— आरोपी को अपराध की प्रकृति के अनुसार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी व उसके अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया है कि आरोपी लगभग तीन वर्ष से मामले में विचारण का सामना कर रहा है, जिसमें वह नियमित रूप से उपस्थित होता रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड़ से दण्डित कर छोड़ा जावे।
- 14— आरोपी के विरुद्ध गम्भीर प्रकृति का अपराध प्रमाणित नहीं है। आरोपी प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है तथा उसके द्वारा लम्बे समय से विचारण का सामना किया गया है। उक्त दुर्घटना में आहतगण को मामूली चोटे कारित हुई थी। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को

केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 337 के अंतर्गत क्रमशः 1000/—(एक हजार रूपये) एवं 500/— (पांच सौ रूपये), 500/— (पांच सौ रूपये) कुल 2,000/— (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को 1—1 माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

15— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मिनी बस क्रमांक सी.जी.04 / ई.1883 को मय दस्तावेज सुपुर्ददार राजेश वरलानी को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

ज अल ज.प्र.श्रेणी, बे जला—बालाघाट